

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक

/2014 R 3261-I/14

483

विनोद भार्गव, म.प्र.
25-9-14

25-9-14

- 1 महिला बिट्टीदेवी पुत्री श्री मोहन सिंह ठाकुर,
निवासी-नवादाबाग भिण्ड (म.प्र.)
- 2 रामबहादुर सिंह पुत्र श्री सिंहवीर सिंह ठाकुर,
- 3 जगवीर सिंह पुत्र रामवरन सिंह ठाकुर,
निवासीगण-ग्राम किशूपुरा, हाल-अटेर रोड,
भिण्ड, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)
- 4 महिला पानकुवंर वैवा फूल सिंह,
- 5 मायाराम पुत्र बारेलाल जैन, मृत द्वारा वैध
वारिसान-अ. कपूरी देवी, ब. महेन्द्र कुमार जैन,
स. अशोक कुमार जैन, अरविंद जैन
- 6 महिला सविता सिंह पत्नी कौशलेन्द्र सिंह,
निवासीगण-नवादाबाग भिण्ड (म.प्र.)
- 7 महिला पप्पीदेवी पत्नी देवेन्द्र सिंह,
निवासीगण-अटेर रोड, भिण्ड, तहसील व जिला
भिण्ड (म.प्र.)

आवेदकगण

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड, जिला भिण्ड

—अनावेदक

विनोद भार्गव
25-9-14

न्यायालय कलेक्टर, जिला भिण्ड (म.प्र.) द्वारा प्रकरण
क्रमांक 81 एवं 84/2013-14/स्व.निग. में पारित
आदेश दिनांक 04/08/2014 के विरुद्ध म.प्र.भू-राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,


आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3261-एक/14

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p>	